

22-5-19  
22

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001

फोन नं (0135) — 2713760, 2713551  
फैक्स नं (0135) — 2713724

संख्या: 2398 /XXV-(P-7)/ 2008

देहरादून: दिनांक 22 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री सावेज खान,  
पुत्र आई०टी०खान  
निवासी— 249 अजबपुर कला  
नियर धोबी वाली गली,  
देहरादून।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।


विषय:—  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत आपके नाम से हस्ताक्षर रहित प्राप्त आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त संबंध में संबंधित आवेदन पत्र को पोस्टल आर्डर सहित मूल में इस आशय से वापस किया जा रहा है कि आवेदन पत्र में हस्ताक्षर करते हुए वांछित सूचनायें उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त करने का कष्ट करें।

संलग्न—मूल में मय पोस्टल आर्डर

भवदीय,

  
(डी०पी०डंगवाल)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

पद्धेका दर्शकोंका दस रुपये नक्षु दिलाये ५५४०५ पत्रि १८ दहा रुपये बड़ा दशा दस रुपये दश रुपयाणि

अपरकार

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर  
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO \_\_\_\_\_

को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

डाक टिकट

POSTAGE STAMPS

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में आदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।

SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

दावेज २०१  
१० अग्रे १९७१

249 बैठौरी (काला)

उत्तराखण्ड

पोस्ट मास्टर POSTMASTER इस स्थान के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

48F 231852

## सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3)

### के अन्तर्गत सूचना प्रदान करें:-

सेवा में,

दिनांक—20.05.2019

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी  
इलेक्शन कमिशन,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः— स्ट्रॉन्ग रूम की सी०सी०टी० फुटेज उपलब्ध कराने के विषयक।

महोदय,

निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करने की कृपा करें।

1. दिनांक 11 अप्रैल से लेकर 22 मई तक की स्ट्रॉग रूम के सी०सी०टी०वी० फुटेज की सीडी उपलब्ध करायें। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें।
2. क्या स्ट्रॉग रूम में एक बार ई०वी०एम० मशीन रखने के बाद कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति स्ट्रॉग रूम से ई०वी०एम लाया व ले जाया सकता के शासनादेश की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
3. उत्तराखण्ड की पांचो सीटो के लिये कितने स्ट्रॉग रूम हैं कि सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
4. उत्तराखण्ड की पांचो सीटो पर सभी स्ट्रॉग रूम की सी०सी०टी०वी० फुटेज उपलब्ध करायें। सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

5. उत्तराखण्ड में पांचों सीटों पर कितनी ई०वी०एम० मशीने लायी गयी की नोटशीट एवं उनका क्रमांक या युनिक आई०डी० की सम्याप्ति उपलब्ध करायें।

संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या 48f 231852

आवेदक

सावेज खान  
पुत्र आई०टी० खान  
निवासी— 249 अजबपुर कला  
नियर धोबी वाली गली।  
मो० नं०—9634371045